

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधिकारी, चूरु  
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प .....  
.....



**-: आदेश :-**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... व भूअ.नि. .... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ..... / नायब तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... तहसील ..... व जिला ..... की जमाबन्दी सम्वत् ..... में खाता संख्या ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	दाणी लिहणसिंह	26	केसवप्रताप सिंह पास हिस्सा 1/32 भागि 1/12 निवासी दाणी लिहणसिंह एतेदार	किणदेवी पुत्री रिहणसिंह हिस्सा 1/32 भागि 1/12 निवासी दाणी लिहणसिंह एतेदार

*[Signature]*  
पीठासीन अधिकारी  
भू-अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.)

क्रमांक :- 106/2021

दिनांक :- 12-10-2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

नमूना 206  
12.10.2021

*[Signature]*  
भू-अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.)